न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –10/2017 जिला दौसा

1. मूली देवी पत्नी प्रभूदयाल
2. नाथू लाल पुत्र कल्याण
3. औम प्रकाश पुत्र रामजी लाल
4. नवल किशोर पुत्र रामजीलाल
5. बाबू लाल पुत्र रामजी लाल
6. गुलाब बेवा रामजी लाल
7. कालू राम पुत्र मूलचन्द
8. धापा बेवा मूलचन्द
9. सीताराम पुत्र प्रभूदयाल
10. राधेश्याम पुत्र प्रभूदयाल
11. छोटे लाल पुत्र प्रभूदयाल

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी भेडोली, तहसील व जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप जिला कलक्टर दौसा दिनांक 15.7.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 03.01.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 15.7.2016 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 6.3.2017 को प्रस्तुत की है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार दौसा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया । जिस पर विवादित भूमि ग्रम भेडोली की मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि साबिक खसरा नम्बर 91/201 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा गैर मुमकीन शमशान जो सैटलमेन्ट से पूर्व दर्ज रिकार्ड था । सैटलमेन्ट के पश्चात् उक्त भूमि शमशान भूमि दर्ज होकर नहीं आई । इस कारण उक्त प्रकरण दर्ज करवाना आवश्यक हुआ । वर्तमान रिकार्ड में शमशान भूमि खातेदारी एवं तलाई में शामिल हो गई है जबकि मौके पर आज भी शमशान की भूमि शमशान के काम आ रही है । अतः खसरा नम्बर 370 रकबा 0.11 में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.10 में से 0.03 हैक्टेयर, कुल 0.06 हैक्टेयर खातेदारी में से कम होनी है तथा खसरा नम्बर 368 रकबा .0.25 में से 0.04 हैक्टेयर भूमि कम होकर शमशान में दर्ज होनी है । इस प्रकार कुल 0.10 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकीन शमशान के नाम होना राज्यहित में न्यायोचित होगा ।

तहसीलदार दौसा के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने प्रभावित व्यक्तियो को नोटिस जारी किये जाकर जिनमें से औम प्रकाश, नवल किशोर, मूली देवी के पुत्र कमलेश कुमार उपस्थित हुये तथा अन्य के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.7.2016 पारित कर विवादित खसरा नम्बर 370 रकबा 0.11 में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.10 में से 0.03 हैक्टेयर कुल 0.06 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में से तथा खसरा नम्बर 368 रकबा 0.25 में से 0.04 हैक्टेयर भूमि, कुल 0.10 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकीन शमशान के नाम दर्ज करने एवं इसी प्रकार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के तहसीलदार दौसा को आदेश दिये गये ।

अपीलान्ट्स द्वारा उप खण्ड अधिकारी दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 15.7.2016 के खिलाफ यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 15.7.2016 खारिज किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स की बिना विधिवत तामिल हुये ही अपीलान्ट के पुत्र की तामील होना दर्ज कर निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि तहसीलदार का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 की परिधी में नहीं आता क्योंकि धारा 136 में तो केवल मात्र उप जिला कलक्टर को दौराने भू प्रबन्ध कोई लिपिकीय त्रुटी हुई हो तो उसे दुरूस्त करने का अधिकार है । किसी भी खातेदार की भूमि में से भूमि कम करने के लिये नियमित वाद प्रस्तुत करना चाहिये था । इस प्रकार धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेज तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके आधार पर खातेदारों की भूमि कम कर शमशाम के नाम दर्ज की जाती । अधीनस्थ न्यायालय ने केवलमात्र मौका रिपार्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो अवैधानिक होने से खारिज होने योग्य है । खसरा नम्बर 370 व 372 साबिक खसरा नम्बर 95 से बने हैं जो पूर्व में भी खातेदारी में थे और वर्तमान में भी खातेदारी में है, लेकिन इस तथ्य को नजरन्दाज कर निर्णय पारित करने में विधिक गलती की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं हुआ कि शमशान भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में सम्मिलित की हो, ना ही रिकार्ड से ऐसा साबित था । शमशान तो खसरा नम्बर 91/201 साबिक था जिसे नजरन्दाज किया गया है । उनका कहना था कि किसी खातेदार का रकबा तभी कम किया जा सकता है जब उसका रकबा बढा हो । अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 9.2.17 को बताने पर जानकारी हुई और नकल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की है । अतः न्यायहित में विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट जिस पर तहसीलदार, उप तहसीलदार के भी हस्ताक्षर है, में अंकित किया है कि साबिक खसरा नम्बर 91/201 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा गैर मुमकीन शमशान है जो सैटलमेन्ट से पूर्व दर्ज रिकार्ड था । सैटलमेन्ट के पश्चात् उक्त शमशान भूमि दर्ज होकर नहीं आई । इस कारण उक्त प्रकरण दर्ज करवाना आवश्यक हुआ । वर्तमान

रिकार्ड में शमशान भूमि खातेदारी एवं तलाई में शामिल हो गई है जबकि मौके पर आज भी शमशान की भूमि शमशान के काम आ रही है । अतः खसरा नम्बर 370 रकबा 0.11 में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.10 में से 0.03 हैक्टेयर, कुल 0.06 हैक्टेयर खातेदारी में से कम होनी है तथा खसरा नम्बर 368 रकबा .0.25 में से 0.04 हैक्टेयर भूमि कम होकर शमशान में दर्ज होनी है । इस प्रकार कुल 0.10 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकीन शमशान के नाम होना राज्यहित में न्यायोचित होगा । अधीनस्थ न्यायालय ने नाथूलाल,नवल किशोर,बाबू लाल,औम प्रकाश, गुलाब , कालूराम,धापा, मूली देवी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये थे जिनमें से औम प्रकाश, नवलकिशोर व मूली देवी का पुत्र कमलेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये थे शेष अन्य विपक्षी हाजिर नहीं होने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.7.2016 पारित कर विवादित खसरा नम्बर 370 रकबा 0.11 में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.10 में से 0.03 हैक्टेयर कुल 0.06 हैक्टेयर खातेदारी में से तथा खसरा नम्बर 368 रकबा 0.25 में से 0.04 हैक्टेयर भूमि , कुल 0.10 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकीन शमशान के नाम दर्ज करने एवं इसी प्रकार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के तहसीलदार दौसा को आदेश दिये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । तहसीलदार दौसा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया था , के संबंध में विवादित भूमि ग्रम भेडोली की मौका रिपोर्ट में अंकित किया था साबिक खसरा नम्बर 91/201 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा गैर मुमकीन शमशान जो सैटलमेन्ट से पूर्व दर्ज रिकार्ड था । सैटलमेन्ट के पश्चात् उक्त भूमि शमशान भूमि दर्ज होकर नहीं आई । इस कारण उक्त प्रकरण दर्ज करवाना आवश्यक हुआ । वर्तमान रिकार्ड में शमशान भूमि खातेदारी एवं तलाई में शामिल हो गई है जबकि मौके पर आज भी शमशान की भूमि शमशान के काम आ रही है । अतः खसरा नम्बर 370 रकबा 0.11 में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.10 में से 0.03 हैक्टेयर, कुल 0.06 हैक्टेयर खातेदारी में से कम होनी है तथा खसरा नम्बर 368 रकबा .0.25 में से 0.04 हैक्टेयर भूमि कम होकर शमशान में दर्ज होनी है । इस प्रकार कुल 0.10 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकीन शमशान के नाम होना राज्यहित में न्यायोचित होगा । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी कर उपस्थित अपीलान्ट्स को सुना जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.7.2016 पारित कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 370 रकबा 0.11 में से 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.10 में से 0.03 हैक्टेयर कुल 0.06 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में से तथा खसरा नम्बर 368 रकबा 0.25 में से 0.04 हैक्टेयर भूमि, कुल 0.10 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकीन शमशान के नाम दर्ज करने एवं इसी प्रकार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के तहसीलदार दौसा को आदेश दिये गये , जिनमें हम कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों को परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश उप खण्ड

चित्र।
अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

अधिकारी दौसा दिनांक 15.7.2016 उचित एवं विधिसम्यक है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर